भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ: आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/पीआरओ/138/6/2023
Ref: IRDAI/LIFE/CIR/PRO/138/6/2023

26.06.2023

प्रति / To,
सभी जीवन बीमाकर्ता / All Life Insurers

विषयः सरोगसी अधिनियम, 2021 और एआरटी अधिनियम, 2021 तथा उनके अधीन बनाये गये संबंधित नियम

Re: Surrogacy Act, 2021 and ART Act, 2021 and the relevant Rules thereunder

1. परिपत्र संदर्भ: आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/पीआरओ/01/05/2023 दिनांक 10.05.2023 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें बीमाकर्ताओं से अनुरोध किया गया था कि वे उपर्युक्त अधिनियमों और उनके अधीन बनाये गये संबंधित नियमों का अनुपालन करें।
   Reference is drawn to the circular Ref: IRDAI/HLT/CIR/PRO/01/05/2023 dated: 10.05.2023 wherein insurers were requested to comply with certain provisions of the said Acts and the relevant Rules thereunder.

2. इसके अलावा, उपर्युक्त अधिनियमों / नियमों के निम्नलिखित उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है:
   Further, Reference is drawn to the following provisions of the above Acts / Rules:

   (i) सरोगसी अधिनियम, 2021 की धारा 2 (1) (थ) निम्नानुसार कहती है-
   Section 2 (1) (q) of Surrogacy Act 2021 states as under-

   "बीमा" से एक ऐसी व्यवस्था अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई कंपनी, व्यक्ति अथवा इच्छुक दंपति कोखदायी (सरोगेट) माता के चिकित्सा व्ययों, स्वास्थ्य समस्याओं, विनिर्दिष्ट हानि, क्षति, अस्वस्थता अथवा मृत्यु एवं सरोगसी की प्रक्रिया के दौरान ऐसी कोखदायी (सरोगेट) माता के संबंध में किये गये ऐसे अन्य निर्धारित व्ययों की क्षतिपूर्ति की गारंटी प्रदान करने का वचन देते हैं।
   "insurance" means an arrangement by which a company, individual or intending couple undertake to provide a guarantee of compensation for medical expenses, health issues, specified loss, damage, illness or death of surrogate mother and such other prescribed expenses incurred on such surrogate mother during the process of surrogacy;

   (ii) एआरटी अधिनियम, 2021 की धारा 22 (4) (ii) निम्नानुसार कहती है-
   Section 22 (4) (ii) of ART Act 2021 states as under-

“बीमा” से एक ऐसी व्यवस्था अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई कंपनी, व्यक्ति अथवा कार्यदाता (कमिशनिंग) दंपति अण्डक पुनःप्राप्ति (ऊसाइट रिट्रीवल) की प्रक्रिया के दौरान अण्डक दाता (ऊसाइट डोनर) की विनिर्दिष्ट हानि, क्षति, जटिलता अथवा मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति की गारंटी प्रदान करने का वचन देते हैं; तथा

"insurance" means an arrangement by which a company, individual or commissioning couple undertake to provide a guarantee of compensation for specified loss, damage, complication or death of oocyte donor during the process of oocyte retrieval; and

3. सभी जीवन बीमाकर्ताओं को इसके द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे तत्काल प्रभाव से उपर्युक्त अधिनियमों / नियमों का अनुपालन करें तथा सुनिश्चित करें कि उपयुक्त उत्पाद उपलब्ध कराये जाएँ।

All Life insurers are hereby directed to comply with the said Acts / Rules with immediate effect and ensure that suitable products are made available.

मीनाकुमारी. जे

(जे मीनाकुमारी / J Meena Kumari)
कार्यकारी निदेशक (जीवन) / ED (Life)